बिहार सरकार

समाहरणालय, अररिया
(जिला राजस्व प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453–222001(का0)
: 06453–222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453–222124
email - dm-araria.bih@nic.in

आदेश

श्री अनिल कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रानीगंज के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से दिनांक 13.04.2015 को 25,000.00 रूपया रिस्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा पूर्णियाँ अस्पताल परिसर से रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं निगरानी थाना कांड सं0 30/2015, दिनांक 13.04.2015 धारा 7/13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के तहत् दर्ज होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक 742/रा0, दिनांक 24.04.2015 द्वारा निलंबित किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण करने एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रपत्र 'क' में गठित किया गया। यह मामला निगरानी विभाग में अन्वेषण एवं विचारण में है। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 721/अप0शा0, दिनांक 29.04.2015 के आलोक में जिला विधि प्रशाखा, अररिया के ज्ञापांक 694/विधि, दिनांक 18.05.2015 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई है।

उपर्युक्त के आलोक में आदेश ज्ञापांक 1108/रा0, दिनांक 23.06.2015 के द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उप विकास आयुक्त, अररिया को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, रानीगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अंचल अधिकारी, रानीगंज के पत्रांक 1281, दिनांक 04.09.2015 के क्रम में श्री सिंह द्वारा केन्द्रीय कारा बेउर से रिहा होने के पश्चात् दिनांक 14.08.2015 को योगदान समर्पित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1649/रा0, दिनांक 14.09.2015 द्वारा तत्काल निलंबन से मुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, द्वारा विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन के पश्चात् उनके पत्रांक 179/अभि0, दिनांक 27.01.2016 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपी का कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन की विवरणी निम्नांकित है :–

आरोप का विवरण	आरोपी का कारण पृच्छा	संचालन पदाधिकारी का मंत्वय
1. आपने प्रभारी अंचल निरीक्षक, रानीगंज–सह–हल्का कर्मचारी, हल्का नं0 01 एवं 08 के प्रभार में रहते हुए परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, पिता–चौकू यादव, सा0–गोपालपुर, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया से अंचल अधिकारी, रानीगंज के ज्ञापांक 127, दिनांक 04.01.2015 के अनुपालन में परिवादी के पक्ष में जमाबंदी में प्रविष्टि के एवज में मो0 25000.00 (पच्चीस हजार) रूपये रिस्वत लिया। रिस्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 13.04.2015 को सदर अस्पताल परिसर, पूर्णियाँ में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आपका यह कार्यकलाप अनुशासनहीनता,	1. अंचल अधिकारी, रानीगंज के ज्ञापांक 127, दिनांक 04.01.2015 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के द्वारा वाद सं0 32/2013–17 (सुरेन्द्र कुमार यादव बनाम निर्मला देवी) के नामान्तरण वाद में 31.12.2014 को पारित आदेश के आलोक में मुझे जमाबंदी में प्रविष्टि कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में सुरेन्द्र यादव के जमीन के नामान्तरण के लिए कुल लगान की राशि करीब 30,000.00 (तीस हजार) रू0 बनता था। लगान रसीद काटने के लिए मुझे 25,000.00 (पच्चीस हजार) रू0 पूर्णियाँ अस्पताल परिसर में देने की बात सुरेन्द्र यादव द्वारा	आरोपी श्री अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध रंगेहाथ घूस लेते हुए पकड़े जाने पर निगरानी थाना में प्राथमिकी सं0 30/2015, दिनांक 13.04.2015 दर्ज किया गया। मूल आरोप यह है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में चले वाद सं0 32/2013–14 में हुए आदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी, रानीगंज के ज्ञापांक 127, दिनांक 04.01.2015 द्वारा परिवादी के पक्ष में जमाबंदी में प्रविष्टि हेतु आदेश दिया गया। परन्तु आरोपी श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा ऐसा करने के लिए राशि की माँग की गई। इसी क्रम में दिनांक 13.04.2015 को जब वे सदर अस्पताल, पूर्णियाँ में थे, इन्हें 25000

कर्त्तव्यहीनता एवं भ्रष्टाचार का द्योतक है, जिसके लिए आप दण्ड के भागी है। 2. निगरानी थाना कांड सं0 30/2015, दिनांक 13.04.2015 धारा 7/13(2)–सह–पठित धारा 13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 दर्ज कर मान्नीय विशेष न्यायाधीश निगरानी–II, पटना में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार आपको न्यायायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजा गया। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से दोषी है। 3. उक्त आरोप में आपको समाहर्त्ता, अररिया के ज्ञापांक 742/रा0, दिनांक 24.04.2015 द्वारा काराधीन होने की तिथि दिनांक 13.04.2015 के प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ हीं आपका उपरोक्त आचरण भी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।	कही गई और वही रूपया लेते समय मुझे साजिश के तहत निगरानी विभाग के द्वारा शेखर सिंह के कहने पर षड्यंत्र के तहत सुरेन्द्र यादव के द्वारा मुझे गिरफ्तार करवाया गया। मैंने लगान रसीद के लिए पैसा देने की सूचना के आधार पर पूर्णियाँ अस्पताल परिसर में गया और यह कार्यक्लाप न तो अनुशासनहीनता न ही कर्त्तव्यहीनता और न ही भ्रष्टाचार का द्योतक है और इसके लिए में कहीं भी दण्ड का भागी नहीं हूँ। इस प्रकार आरोप सं0 1 में लगाये गये आरोप को पूर्णतया इन्कार करता हूँ। 2. शेखर सिंह के बहकावे में आकर साजिश के तहत सुरेन्द्र यादव द्वारा निगरानी विभाग को सूचित किया गया एवं मुझे निगरानी विभाग द्वारा 13.04.2015 को गिरफ्तार कर लिया गया, निगरानी थाना काण्ड सं0 30/2015 में वर्णित धारा के तहत मुझे मान्नीय विशेष न्यायाशीध, निगरानी–11, पटना में प्रस्तुत किया गया। तदनुसार न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजा गया, जो एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके तहत आरोपी को गुजरना ही पड़ता है। इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ बल्कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। अतः आरोप सं0 2 को मैं पूर्णतया इन्कार करता हूँ। 3. समाहर्त्ता, अररिया के आदेश ज्ञापांक 742/रा0, दिनांक 24.04.15 द्वारा मुझे 13.04.15 के प्रभाव से ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(II)(क) के अन्तर्गत मुझे निलंबित किया गया। तदुपरान्त समाहर्त्ता, अररिया के ज्ञापांक 1649, दिनांक 14.09.2015 द्वारा पारित आदेश के आलोक में मुझे निलंबन से मुक्त कर दिया गया, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अतः मेरा आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है, को मैं इन्कार करता हूँ। इस प्रकार मैं आरोप सं0 3 को पूर्ण रूप से इन्कार करता हूँ।	(पच्चीस हजार) रूपया लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। लगाये गये आरोप एवं इनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण तथा अंचल अधिकारी, रानीगंज द्वारा दिये गये मंतव्य एवं पत्रांक 68, दिनांक 13.01.2016 द्वारा दिये गये ब्यान के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के आदेश का अनुपालन करने हेतु श्री सिंह को दिया गया। परन्तु उनके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसी बीच इनको इसी मामले में वादी द्वारा राशि देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करा दिया गया, जो स्पष्ट करता है कि इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप सही है।

संचालन पदाधिकारी के उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पर गठित आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है।

आरोप गंभीर एवं वृहत दण्ड के योग्य होने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 248/रा0, दिनांक 08.02.2016 द्वारा श्री सिंह से अपने बचाव में द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। इसके आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 29.02.2016 को **द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त हुआ, जो निम्नांकित है :–**

1. परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, पिता–वौकू यादव, सा0–गोपालपुर, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया से जमाबंदी कायम करने के एवज में मो0 25,000.00 रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्तार होने संबंधी आरोप के विरूद्ध सादर स्पष्ट करना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दायर नामान्तरण वाद सं0 32/2013–14 सुरेन्द्र कुमार यादव बनाम निर्मला देवी में पारित आदेशानुसार अंचलाधिकारी, रानीगंज के ज्ञापांक 127, दिनांक 04.01.2015 द्वारा जमाबंदी कायम करने का निदेश दिया गया। उक्त पारित आदेश के अनुपालनार्थ परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार यादव के उक्त जमीन के लिए लगने वाले भू–लगान की गणना की गई। लगान की राशि लगभग 30,000.00 बनता था। परिवादी को लगान राशि जमा करने हेतु कहा गया। परिवादी के ग्रामीण श्री शेखर सिंह को इस बात की जानकारी हो गई कि श्री सुरेन्द्र कुमार यादव लगान रसीद के लिए मुझे 25,000.00 रूपये देने वाले हैं। श्री शेखर सिंह ने गहरी साजिस के तहत श्री सुरेन्द्र कुमार यादव को बहला–फुसला कर भू–लगान की राशि को घूस की राशि के रूप में दर्शाने का षडयंत्र किया। उस षडयंत्र का पृष्ठभूमि निम्न प्रकार है :–

परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार यादव के ग्रामीण श्री शेखर सिंह के बन्दुक लाईसेंस के लिए मुझे सत्यापन प्रतिवेदन देना था। श्री सिंह का आपराधिक चरित्र रहने के कारण मेरे द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन में आपराधिक चरित्र दर्शाया गया। श्री सिंह द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन बदलने के लिए मुझ पर काफी दवाब दिया गया। ऐसा नहीं करने पर श्री शेखर सिंह बदला लेने की नियत से परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार यादव को बहकावे में लाकर साजिश के तहत लगान के लिए माँगी गई राशि को रिश्वत माँगने के रूप में दर्शाते हुए निगरानी विभाग को झूठी सूचना दिलवा दी गई एवं मुझे सुनियोजित साजिस के तहत गिरफ्तार करवा दिया गया। मेरे द्वारा कभी भी परिवादी से जमाबंदी कायम करने के लिये घूस की माँग नहीं की गई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जेल से रिहा होने के बाद परिवादी सुरेन्द्र कुमार यादव ने मिलने पर अपनी गलती भी स्वीकार की है।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में भी मेरे द्वारा उक्त साजिश के संबंध में अपना स्पष्टीकरण में उल्लेख कर विज्ञ संचालन पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त महोदय को समर्पित किया गया था, परन्तु मेरे स्पष्टीकरण पर परिवादकर्त्ता एवं अन्य गवाहों का प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया। यदि गवाहों का प्रतिपरीक्षण (Cross Examination) संचालन के क्रम में कराया जाता तो साजिश का सत्यापन निश्चित रूप से हो जाता। नैसर्गिक न्याय के तहत सभी पहलुओं पर विधि सम्मत जाँच होनी चाहिए, जो नहीं हुआ।

3. यहाँ यह भी सादर उल्लेखनिय है कि मेरे जमानत अर्जी में उल्लेखित उक्त गहरी साजिश के तथ्यों पर ही विवेचन उपरान्त मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे जमानत दी गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भवदीय को पुनः सादर निवेदनपूर्वक कहना चाहूँगा कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी भी परिवादी से रिश्वत नहीं माँगी थी। गहरी साजिश के तहत निगरानी विभाग को भ्रामक सूचना दिलवा कर मुझे गिरफ्तार करवाया गया। साथ हीं संचालन के क्रम में जाँच भी विधि सम्मत तरीके से नहीं की गई।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि मुझे आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विचारण :–

श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा भी इनके प्रथम कारण पृच्छा के ही समरूप है। प्रथम कारण पृच्छा में मुख्य रूप से कहा गया है कि अंचल अधिकारी, रानीगंज के ज्ञापांक 127, दिनांक 04.01.2015 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के वाद सं0 32/2013–14 (सुरेन्द्र कुमार यादव बनाम निर्मला देवी) के नामान्तरण अपील वाद में श्री सिंह को जमाबंदी प्रविष्टि करने का निदेश दिया गया था। परन्तु उक्त आदेश का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। इसी बीच इनको इसी मामले में वादी से 25000.00 रूपया रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग के द्वारा गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग के पत्र एवं उनके द्वारा दर्ज प्राथमिकी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि इन्हें निगरानी धावा दल के द्वारा रिस्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फलतः संचालन पदाधिकारी ने प्रथम कारण पृच्छा के तथ्यों को अस्वीकृत करते हुए आरोप को प्रमाणित पाया है।

द्वितीय कारण पृच्छा में भी इनके द्वारा प्रथम कारण पृच्छा के हीं बातों को स्पष्ट किया गया है कि परिवादी सुरेन्द्र कुमार यादव द्वारा साजिश के तहत फंसाने की बात कही गई है। द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा कोई ठोस तथ्य या साक्ष्य नहीं रखा गया है। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए इनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष :–

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य, आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा, संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध दिनांक 13.04.2015 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी धावा दल द्वारा पकड़े जाने एवं भ्रष्ट आचरण करने एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रमाणित है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सिंह, भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है। इन्हें सेवा में रखना, सरकारी शील, निष्ठा एवं छवि को धूमिल करना है। इन्हें कठोर दण्ड देना अनिवार्य हो गया है अन्यथा अराजकता एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा सरकारी कर्मियों के बीच गलत संदेश जाएगा।

अतः मैं **श्री हिमांशु शर्मा,** जिला पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, अररिया, बिहार सरकारी सेवक **(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथा संसोधित–2007 के नियम 14(xi)** में निहित शास्तियों के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रानीगंज को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से **बर्खास्त** करता हूँ।

श्री अनिल कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1. कर्मचारी का नाम : श्री अनिल कुमार सिंह
2. पिता का नाम : श्री परमानन्द सिंह
3. पद का नाम : राजस्व कर्मचारी
4. कार्यालय का नाम : अंचल कार्यालय, रानीगंज
5. वेतनमान : 9300–34800, ग्रेड पे – 4200
6. स्थाई पता : ग्राम+पो0–सहजादपुर, थाना–उदा किशनगंज, जिला–मधेपुरा

ह0/—

समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 1157/रा0, अररिया, दिनांक 12/5/2016

प्रतिलिपि : श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन् राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रानीगंज, स्थायी पता–ग्राम+पो0–सहजादपुर, थाना–उदा किशनगंज, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, अररिया को सी0डी0 के साथ जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुकत–सह–संचालन पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अररिया, अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/फारबिसगंज, कोषागार पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य–प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12/5/16

समाहर्त्ता,
अररिया